19.1.2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड [illegible]कारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन— अधिकारी–देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
11 / 2010	2010 / 00001	29.03.2010

माफी मंदिर श्री प्रतापशिरोमणी जी महाराज विराजमान गूडारा बाजार करौली जरिये प्रबन्धकगण व नेकस्ट फेण्ड

1. नगेन्द्र किशोर पुत्र नवनीत किशोर आयु 60 साल जाति वंगाली वाहम्ण निवासी करौली जिला करौली।
2. रंजन मुखर्जी पुत्र नरसिंह प्रसाद मुखर्जी आयु 36 साल जाति वंगाली वाहम्ण निवासी करौली जिला करौली।

—वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मंगू आयु 55 साल
2. भगवान पुत्र मंगू आयु 53 साल
3. हरिचरण पुत्र मंगू आयु 50 साल
4. रोशन पुत्र मंगू आयु 49 साल
5. मुंशी पुत्र मंगू आयु 48 साल
   जाति सभी धोवी निवासीयान श्रीमानसिंह जी मा0की गली सब्जी मंडी करौली तहसील करौली जिला करौली।
6. चमेली पुत्री मंगू आयु आयु 46 साल
7. सरवती पुत्री मंगू आयु 45 साल
8. केसन्ती पुत्री मंगू आयु 42 साल
9. असरफी वेवा मंगू आयु 72 साल
   जाति सभी धोवी निवासीयान श्रीमानसिंह जी मा0की गली सब्जी मंडी करौली तहसील करौली जिला करौली।
10. मिथुन पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
11. बिकम पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
12. रानी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
13. उषा पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
    नाबालिगान जरिये प्राकृतिक सरंक्षक जाति धोवी निवासी मानसिंह की गली सब्जी मंडी करौली तहसील करौली जिला करौली।
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व दखल [redacted] स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

निर्णय **दिनांक: 19.01.2021**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5847 [illegible] बीघा 19 बिस्वा कस्वा करौली तहसील करौली मंदिर वादीगण के खातेदारी [illegible] की है जिसके खुदकाश्त के खातेदारी व कब्जे के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी [illegible] प्रबन्धक सैटिलमेन्ट सम्बत 2015 में है वादी माफी मंदिर श्रीप्रताप [illegible] करौली में है और वादीगण आराजी की देखरख व प्रबन्धकगण व व्यवस्थापक है वादी को वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है मंदिर वादी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है आराजी विवादित मंदिर वादीगण की ओर से काश्त होती रही है जो प्रतिवादीगण के पिता मंगू पुत्र गगा धोवी करौली ने सैरिटमेन्ट कर्मियों से साज कर अवैधानिक तरीके से बिना कानूनी अधिकार अपने हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी इन्द्राज करा लिये है जबकि सैटिलमेन्ट अधिकारी व कर्मियों को प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादीगण के हक में किये गये रेवन्यु इन्द्राज हक हकुक वादीगण मंदिर पर वेसर व प्रभावहीन व शून्य हैं और काबिले निरस्त है माफी मंदिर के हक में खातेदारी की घोषणा कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है और रेवन्यु रिकार्ड मे इन्द्राज कराने का भी पूर्ण अधिकार है प्रतिवादीगण अनाधिकृत तौर से आराजीयात पर काबिज है और ट्रेस पासर की तारीफ में आता है आराजी का कब्जा वादी को सम्हलवाने से इन्कार है तथा विवादित भूमि को वेचान करने पर तुले हुये है प्रतिवादी के वादी की उक्त आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नही है वादी प्रतिवादीगण से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। ठाकुरजी शास्वत नावालिग है मंदिर की ओर से वैहसीयत नेकस्ट फ्रेण्ड वादीगण को दावा पेश करने का अधिकार है अन्त में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादीगण न01 ता 13 ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादीगण द्वारा आराजी कभी काश्त नही है बल्कि प्रतिवादीगण ही पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है मंदिर माफी वादीगण को दावा पेश करने का अधिकार नही है क्योकि आर्डर 01 रूल 8 सीपीसी की पालना नही की है। प्रतिवादीगण के पिता मंगू पुत्र गंगा जाति धोवी अपने पुश्तैनी रूप से उक्त जमीन को काश्त करते चले आ रहे है। मंदिर माफी की कोई जायदाद नही है। बल्कि मंदिर माफी के प्रबन्धक बन कर गलत तरीके से दावा किया गया है यदि प्रतिवादीगण के पुश्तैनी रूप से उक्त जमीन पर काबिज है काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण रिकार्ड खातेदार है उक्त जमीन पर काबिज काश्त है वादी के मन मे वदनियति आ गई इसलिए उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहता है इसलिए इस दावे की आड में कब्जा करना चाहते है वादीगण नेकस्ट फ्रेण्ड नही है इसलिए वादीगण को दावा पेश करने का अधिकार नही है 100 वर्षो से उक्त जमीन पर प्रतिवादीगण काबिज है वादीगण प्रतिवादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

दावा में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 5847 रकवा 3 वीधा 19 विस्वा कस्बा करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे की है वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। — वादी
2. आया विवादित आराजी सखरा नम्बर 5847 रकवा 3 वीधा 19 विस्वा करौली वदी मंदिर के खातेदारी व कब्जे की है वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है । वादी दखल पाने का अधिकारी है — वादी
3. आया वादी द्वारा ऑर्डर 1रूल 8 सीपीसी की पालना नही किये जाने से दावा वादी चलने योग्य नही है– —प्रतिवादी
4. आया वादी मंदिर का नेकस्ट फ्रेण्ड नही है वादी को दावा दायर करने का अधिकार नही है — प्रतिवादीगण
5. अनुतोष

बाद विवाधक बिन्दू वादीगण [illegible] ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी नगेन्द किशोर के बयान लेखबद्ध कराये है [illegible] दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्बत 2015 प्रदर्श–1जमाबन्दी सम्बत 2064–2067 प्रदर्श [illegible] को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त की गयी। प्रतिवादीगण के [illegible] में [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 15.12.2016 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील वादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण मंदिर के नेकस्ट फ्रेण्ड प्रबन्धक व व्यवास्थापक है

Scanned with CamScanner

ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड है वादीगण को मंदिर की ओर से दावा दायर करने का अधिकार है प्रतिवादीगण के पिता मंगू के हक में मंदिर भूमि के हुये अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हक हकूक मंदिर वादी पर शून्य प्रभावहीन है वादी मंदिर शास्वत नावालिग है। नावालिग की सम्पति मे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है प्रतिवादीगण भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने पर आमादा है। वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी धोषणा वादीगण मंदिर के हक में कराने व भूमि प्रतिवादीगण को दरख्ल कराकर कब्जा वापिस प्राप्त करने के एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिकी किया जावें।

वकील प्रतिवादीगण का वहस मे कथन है कि वादग्ररत आराजीयात पर प्रतिवादीगण व पिता प्रतिवादीगण का 100 वर्षो से कब्जा काश्त वतौर खातेदार काश्तकार है। वादीगण मंदिर का या वादीगण का 100 वर्ष से कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। वादीगण मंदिर के नेकरस्ट फ्रेण्ड व प्रबन्धक नही है। भूमि कभी भी मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी की नही रही है। दावा वादीगण खारिज किया जावें।

प्रकरण में वहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाधक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है विवाधक संख्या 1 के संम्बंध में वादी ने नकल जमावन्दी सम्वत् 2015 प्रदर्श–1 वर्तमान जमावन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी नगेन्द्र किशोर ने अपना ब्यान लेखवद्ध कराया है जिसमे वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे की होना कथन किया है जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही की है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रदर्श–1 में भूमिवादी मंदिर में खुदकाश्त की भूमि नही होकर जमाबन्दी के कॉलम नं. 5 में मंगू पुत्र गंगा कौम धोबी सा0 देह प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श–2 में भी भूमि पिता प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के खातेदारी में अंकित है इस प्रकार वादी कोई घोषणा अपने हक में कराने का नही है अतः विवाधक संख्या 1 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित तय की जाती है।

विवाधक संख्या 2 को भी साबित करने का भार वादी पर है वादी ने इस संबंध में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है जिसमें भूमिवादी मंदिर के खुदकाश्त में अंकित नही है बल्कि प्रतिवादीगण के पिता मंगू के कब्जेकाश्त के कॉलम 5 में अंकित है जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर वादी मंदिर का कब्जा सम्वत् 2015 से व उससे पूर्व से नही रहा है। जब वादी का भूमि पर कब्जा काश्त ही साबित नही है तब वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जो रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जाधारी है के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार नही है ऐसी स्थिति में विवाधक संख्या 2 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित कर तय किया जाता है ।

विवाधक संख्या 3 व 4 साबित करने का भार प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाधको के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सवूत मौखिक व दस्तावेजी पत्रावली में प्रस्तुत नही किये है प्रतिवादीगण इस विवाधको को साबित करने में असफल रहे है अतः विवाधक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में निर्णित कर तय किये जाते है।

आदेश

माननीय राजस्व मंडल के आदेश क्रमांक/राज/पं.–63/न्याय/स्था./05/636–689 दिनांक 6.01.2010 व राज्य सरकार के परिपत्र राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.07 में निर्देश दिये गये है कि जागीरो के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा सादिकार आदि के नाम द[illegible] खातेदारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगा ऐसी भूमि [illegible] मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नही है राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्ति के नाम निरंतर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र पं.क.3(2)राज.6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थाना भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया

Scanned with CamScanner

जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरंतर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है।

रिकार्ड रूम करौली से प्राप्त दस्तावेजात खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 व सम्बत 2014 से 2015 तक का विवेचन किया गया जिससे उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता मंगू पुत्र गंगा जाति धोवी निवासी करौली की काश्त कब्जा दर्ज है एवं सम्वत 2015 में भी वाद ग्रस्त आराजी मंगू के कृषक के कॉलम में नाम दर्ज है। उक्त भूमि मंदिर के खुदकाश्त में कभी भी दर्ज नही रहा होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार जागीरदारों / माफीदारों की जागीर / माफी अधिगृहीत हो गयी एवं काविज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। जागीर सन्1952 में रिज्युम हो चुकी है। वादीगण बाद को सावित करने में असफल रहे है ऐसी स्थिति मं दावा वादीगण चलने योग्य नही है।

अतःदावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा ङिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया जाता है।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner